<u>न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर</u>

<u>प्रकरण संख्या : अपील/टी.ए./3803/2005/झुंझुनू</u>

रामजीलाल पुत्र गोविन्दराम जाति मीणा निवासी ग्राम भामरवासी तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू

–अपीलार्थी

बनाम

1. बजरंग पुत्र सुल्तान (मृतक) जरिये वारीसान :–
   1/1 भंवरीदेवी पत्नी स्व. बजरंग
   1/2 रामकुंवार पुत्र स्व. बजरंग
   1/3 रामावतार पुत्र स्व. बजरंग
   1/4 रामदेवा पुत्र स्व. बजरंग
   1/5 सुभाष पुत्र स्व. बजरंग
   1/6 सुमेर पुत्र स्व. बजरंग
   1/7 विनोद पुत्री स्व. बजरंग
   समस्त जाति मीणा निवासीगण भामरवासी तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू
2. मालाराम पुत्र सुल्तान (मृतक) जरिये वारिसान
   2/1 शरबती देवी पत्नी स्व. मालाराम
   2/2 ओमप्रकाश पुत्र स्व. मालाराम
   2/3 कंवरसिंह पुत्र स्व. मालाराम
   2/4 सज्जन कुमार पुत्र स्व. मालाराम
   समस्त जाति मीणा निवासीगण भामरवासी तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू
   2/5 चमेली पुत्री स्व. मालाराम पत्नि बसंतलाल जाति मीणा निवासी डूंगरगढ़ तहसील डूंगरगढ़ जिला बीकानेर
   2/6 मुन्नी पुत्री स्व. मालाराम पत्नी ओमप्रकाश जाति मीणा निवासी कोटपुतली तहसील कोटपुतली जिला जयपुर
3. रामकिशन पुत्र सुल्तान
4. मोहनलाल पुत्र सुल्तान
5. भंवरलाल पुत्र गोविन्दराम

समस्त जाति मीणा निवासीगण भामरवासी तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू

6. रोशनलाल पुत्र जगदेव मीणा निवासी नवलगढ़ जिला झुंझुनू
7. महावीर दत्तक पुत्र कानाराम मीणा निवासी आजेट तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चिड़ावा जिला झुंझुनू

–प्रत्यर्थीगण

खण्डपीठ

श्री मुकेश कुमार शर्मा, अध्यक्ष

श्री सुनील कुमार शर्मा, सदस्य

उपस्थित :–

1. श्री मुकेश जैन, अधिवक्ता, अपीलार्थी
2. श्री एस.पी. सिंह, अधिवक्ता, प्रत्यर्थीगण संख्या 1/2, 1/4 से 1/6, 2/1, 2/4, 2/5 की और से
3. श्री एस.एस. सिद्धू, अधिवक्ता, प्रत्यर्थी संख्या 5 की और से
4. श्री एस.के. जोशी, अधिवक्ता, प्रत्यर्थीगण संख्या 3 से 7 की और से
5. श्रीमती पूनम माथुर, राजकीय अधिवक्ता
6. शेष प्रत्यर्थीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित

निणय

दिनांक 11.09.2019

अपीलार्थी द्वारा यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम, 1955) की धारा 225 के अंतर्गत भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर कैम्प कोर्ट झुंझुनू द्वारा अपील संख्या 223/2004 में पारित निर्णय दिनांक 12–07–2005 की विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त में सारगर्भित तथ्य इस प्रकार से है कि वादी–अपीलार्थी ने विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर, झुंझुनू के समक्ष प्रतिवादीगण–प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध एक वाद इस्तकरारहक व बंटवारे बाबत अधिनियम, 1955 की धारा 88, 53 के तहत प्रस्तुत कर कथन किया कि गोविन्दराम व सुल्तान सगे भाई थे, जिनका देहान्त हो चुका है एवं गोविन्दराम के वादी रामजीलाल व प्रतिवादी संख्या 1 भंवरलाल दो पुत्र है तथा सुल्तान के छः पुत्र प्रतिवादीगण 2 लगायत 7 है। गोविन्दराम व सुल्तान ग्राम भामरवासी की 14 किता एवं ग्राम मालुपुरा की 4 किता की विवादित आराजी को शामिल में रहकर संयुक्त तौर पर काश्त करते थे तथा उक्त आराजी संयुक्त हिन्दू परिवार की शामलाती आराजी होकर वादी–प्रतिवादीगण की पैतृक आराजी है किन्तु ग्राम मालुपूरा की गत खसरा संख्या 175 वर्तमान खसरा नम्बरान् क्रमशः 372, 396, 397, 398 कुल 4 किता की आराजी सम्वत 1999 की मिशल हकियत में अकेले सुल्तान के नाम गलत दर्ज होने से वर्तमान राजस्व अभिलेख में भी सुल्तान के वारीसान के नाम गलत दर्ज हो रखी है जबकि उक्त आराजी सम्वत 2012 में कब्जे के हिसाब से सुल्तान व गोविन्दराम दोनों के वारीसान के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज की जाकर उसी अनुरूप वर्तमान राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाना चाहिये। गोविन्दराम व सुल्तान ने अपने जीवनकाल में ही दोनों ग्राम की आराजी का बाहमी बंटवारा मौके पर कर लिया था और उसी अनुरूप उनके वारीसान मौके पर वर्तमान में काबिज है इसलिये बाहमी बंटवारे से प्राप्त वादी रामजीलाल को ग्राम भामरवासी के खसरा नम्बरान् क्रमशः 278 की 0.50 है. व 279 की 0.82 है. में से 0.20 है. दक्षिण भाग एवं 503 की 2.78 है. में से 1.48 है. पश्चिम भाग तथा ग्राम मालुपुरा के खसरा संख्या 398 की 9.11 है. में से 2.75 है. दक्षिण–पूर्वी भाग वादी को खातेदार घोषित करते हुये प्रतिवादी संख्या 1 भंवरलाल को ग्राम भामरवासी के खसरा नम्बरान क्रमशः 125 की 0.30 है. व 280 की 0.09 है. एवं

279 की शेष 0.62 है. उत्तरी भाग तथा 503 की शेष 1.30 है. पूर्वी भाग एवं 504 की 1.55 है. में से 0.19 है. पश्चिमी भाग तथा ग्राम मालुपुरा के खसरा संख्या 398 की 2.44 है. दक्षिण भाग का खातेदार काश्तकार घोषित करते हुये ग्राम भामरवासी के खसरा संख्या 502 रकबा 0.01 है. किस्म गैर मुमकिन कुआ में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 को बहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित फरमाते हुये शेष आराजीयात ग्राम भामरवासी के खसरा संख्या 504 की 1.36 है. एवं ग्राम मालुपुरा के खसरा संख्या 398 की 3.92 है. आदि का खातेदार काश्तकार प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 7 को घोषित कर समस्त आराजी का खाता, लगान पृथक–पृथक करते हुये वादी का वाद डिक्री किया जावे। विचारण न्यायालय द्वारा वादपत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 भंवरलाल की और से ईकबाली जवाबदावा पेश कर वाद डिक्री करने का निवेदन किया गया। प्रतिवादी संख्या 2, 4, 6 व 7 की और से जवाबदावा प्रस्तुत कर वाद पत्र में अंकित कथनो को अस्वीकार करते हुये कथन किया गया कि ग्राम मालुपुरा की जमीन सुल्तान को चौकीदारी के सिलसिले में माफी लगान में प्रदान की गई होने से अकेले सुल्तान की है जिसमें गोविन्दराम का कोई हिस्सा नहीं है तथा ग्राम भामरवासी की जमीन पैतृक होने से इसमें सुल्तान व गोविन्दराम का बहिस्सा बराबर दर्ज रिकार्ड है इसलिये विवादित आराजी का वर्तमान राजस्व अभिलेख सही होने से उसमें कोई गलती नहीं है। सुल्तान के फौत होने पर ग्राम मालुपुरा की आराजी दिनांक 09–09–1989 से प्रतिवादीगण 2 लगायत 7 के नाम बतौर विरासत दर्ज हुई है किन्तु जगदेवाराम तथा महावीर के गोद जाने से उनका इस आराजी में कोई हिस्सा नहीं है बाकी 4 प्रतिवादीगण ही ग्राम मालुपुरा की जमीन के खातेदार काश्तकार है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का ग्राम मालुपुरा की जमीन में कोई हक व हिस्सा नहीं है इसलिये वादपत्र खारीज किया जावे। उपरोक्तानुसार जवाब प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् प्रतिवादीगण की और से कोई उपस्थित नहीं

होने पर विचारण न्यायालय द्वारा उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही दिनांक 06–01–1999 को अमल में लाते हुये बहस वादी एकपक्षीय सुनकर अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23–09–2000 से वाद को डिक्री कर दिया। तत्पश्चात् विचारण न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध प्रतिवादीगण–प्रत्यर्थीगण की और से भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर कैम्प कोर्ट झुंझुनू के न्यायालय में अपील संख्या 223/2004 प्रस्तुत की गई, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 12–07–2005 से आंशिक स्वीकार कर विचारण न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23–09–2000 को निरस्त कर प्रकरण इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित कर दिया कि वे प्रकरण में तनकीयात कायम कर उभयपक्षों को साक्ष्य, सुनवाई प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर पूववर्ती प्रकरण संख्या 264/1992 में पारित निर्णय के संदर्भ में पूर्व न्याय के सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुये राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के आज्ञापक प्रावधानों के मध्यनजर ग्राम मालुपुरा की आराजी को पैतृक मानने के आधार सहित कारण देते हुये पुनः प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर निस्तारण करें। इसी निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. हमनें उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्टस के द्वारा जानकारी के बावजूद देरी से अपील पेश किये जाने के कारण अपील मियाद के बिन्दु पर ही निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने

इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि पूर्ववर्ती वादपत्र में पारित किये गये निर्णय व डिक्री में त्रुटियां होने से उसकी पालना नहीं हो सकी तथा बंटवारे के वाद पर रेसज्यूडीकेटा लागू नहीं होता है। पूर्व की डिक्री में खामियों को दुरूस्त करवाने हेतु ही प्रश्नगत वाद लाया गया है जो रेसज्यूडिकेटा की परिभाषा में नहीं आता है। उनका कथन है कि प्रदर्श 8 जमाबंदी सम्वत 2012 की है, जिसमें ग्राम मालुपुरा की आराजी गत खसरा संख्या 175 की 41 बीघा सुल्तान एवं गोविन्दा के इन्द्राजात होने से यह आराजी पैतृक आराजी है जिसमें दोनों भाईयों का बराबर आधा हिस्सा होने से विचारण न्यायालय ने उक्त आराजी में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का आधा हिस्सा घोषित कर कोई त्रुटि नहीं की है। उनका कथन है कि गत खसरा संख्या 175 रकबा 41 बीघा भूमि ग्राम मालुपुरा की मिशल हकीयत सम्वत 1999 में अकेले सुल्तान के नाम से बनी और उक्त सुल्तान माफीदार खिदमती दर्ज हुआ किन्तु उक्त भूमि खसरा संख्या 175 को भी गोविन्दराम व सुल्तान ग्राम भामरवासी की आराजी के तरह संयुक्त में काश्त करते थे और अधिनियम, 1955 जब लागू हुआ तो जमाबंदी सम्वत 2012 में सुल्तान, गोविन्दराम पुत्र बलवन्ता गैर खातेदार बगैर मौरूशी कृषक दर्ज हुये एवं भूमि अधिकारी के कॉलम में मिलकियत सरकार दर्ज किया गया, इसलिये उक्त आराजी पर सुल्तान एवं गोविन्दा दोनों का बहिस्सा बराबर हक व अधिकार है। उनका कथन है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष समस्त राजस्व अभिलेख उपलब्ध होने से उन्हें बजाय प्रकरण को प्रतिप्रेषण करने के मूल अपील का निस्तारण मेरिट पर करना चाहिये था, किन्तु अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा उक्त तथ्य एवं विधिक स्थिति की अनदेखी करते हुये अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया जो विधिक एवं तथ्यात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय को निरस्त किया जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को बहाल किया जावे।

5. इसके विपरित योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री एकपक्षीय होने से इसके विरूद्ध पेश अपील को अंदर मियाद शुमार कर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने कोई त्रुटि कारित नहीं की है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रथम अपील के पेश होने में देरी के सम्बन्ध में कारणों को संतोषप्रद मानकर देरी क्षमा कर प्रकरण प्रतिप्रेषित कर प्राकृतिक एवं नैसर्गिक न्याय की मंशा के अनुरूप अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय द्वारा जवाबदावा आ जाने के उपरान्त भी मूल वाद में विवाधक कायम न कर त्रुटि की है, जिस वजह से मूल विवाद का निस्तारण सारभूत तौर पर नहीं हुआ है इसलिये प्रकरण साक्ष्य, सुनवाई एवं विवाधक विरचन हेतु प्रतिप्रेषण कर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय में कोई तात्विक अनियमिता कारित नहीं की है। उनका कथन है कि ग्राम मालुपुरा की आराजी के पैतृक होने बाबत् कोई अधिकार अभिलेख पत्रावली पर मौजूद न होने के बावजूद भी विचारण न्यायालय ने बिना किसी तर्क सम्मत कारण के उक्त आराजी को पैतृक मानकर कानूनी भूल कारित की है। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय ने दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के अभाव में मात्र मौखिक कथनों पर बगैर सिद्ध बाहमी बंटवारे को सही मानकर दावा प्राथमिक डिक्री न करते हुये सीधे ही अन्तिम डिक्री कर विशिष्ठ भू भाग की खातेदारी वादी व प्रतिवादी संख्या 1 को प्रदान कर अधिनियम, 1955 के प्रावधानों की मंशा के प्रतिकूल जाकर निर्णय व डिक्री पारित की है, जिसे अपीलाधीन निर्णय से अपास्त कर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित कर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने कोई त्रुटि नहीं की है। उनका कथन है कि विवादित आराजी के सम्बन्ध में पूर्व में भी कई निर्णय एवं डिक्री पारित हो चुके है इसलिये हस्तगत वाद घोषणा के अनुतोष बाबत् पूर्व न्याय (रेसज्यूडिकेटा) से बाधित है एवं रेसज्यूडिकेटा का प्रश्न तथ्य एवं विधि संबंधी मिश्रित प्रश्न है जो तनकी कायम किये

बगैर विनिश्चित नहीं हो सकता है इसलिये अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने प्रकरण विचारण न्यायालय को पुनः निर्णय हेतु प्रेतिप्रेषित कर कोई त्रुटि नहीं की है। उनका कथन है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा इसी तथ्य एवं विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुये अपीलाधीन विधि सम्मत निर्णय पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई तात्विक अनियमितता एवं अवैधानिकता परिलक्षीत नहीं होती है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील को खारीज किया जावे।

6. हमनें उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ता द्वारा की गई बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों से प्राप्त रिकार्ड का बारीकी से अध्ययन एवं मूल्यांकन किया।

7. अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियों एवं पारित निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर, झुंझुनू के समक्ष मूल वादपत्र के विरोध में प्रतिवादीगण–प्रत्यर्थीगण का जवाबदावा पत्रावली पर आ जाने के बाद भी मूल वादपत्र में तनकीयात कायम नहीं करते हुये सीधे ही वाद को डिक्री किया गया है, जिससे प्रकरण का निस्तारण न्याय की मंशा के अनुरूप सारभूत तरीके से नहीं हुआ है। प्रकरण में जब वादपत्र का खण्डन करने वाला जवाबदावा पत्रावली पर मौजूद हो तो ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय के लिये यह आज्ञापक है कि वह आदेश 14 नियम 1 के तहत प्रकरण में तनकीयात कायम करे, क्योंकि तनकीयात कायम करना विचारण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रम है, जिससे वास्तविक विवाद स्पष्ट रूप से केन्द्रीभूत हो सकता है तथा उसके प्रकाश में दस्तावेज उचित रूप से मूल्यांकित हो सकते है एवं सुसंगत साक्ष्य भी सावधानीपूर्वक परिक्षीत हो सकता है तथा तनकीयात कायम होने से मामले में अन्तिम बहस तथा

साक्षियों की उचित परीक्षा एवं प्रतिपरीक्षा भी उचित तरीके से होकर प्रकरण का निस्तारण सारभूत तरीके से होता है।

8. पत्रावली के अवलोकन से यह भी जाहीर है कि मूल वाद घोषणा के साथ–साथ विभाजन के अनुतोष बाबत भी है जिसमें बाहमी बंटवारे को सिद्ध किये बगैर वादपत्र में अंकित कथनों के आधार पर ही वादपत्र को हुबहू विशिष्ठ खसरे एवं उनके विशिष्ठ भू भाग में स्थित रकबे के बाबत् प्राथमिक डिक्री से हिस्से घोषित किये बगैर विचारण न्यायालय ने वादपत्र को सीधे ही अन्तिम डिक्री किया है, जो अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के प्रतिकूल होने से अपीलाधीन निर्णय के माध्यम से अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने इसे निरस्त कर कोई त्रुटि नहीं की है। चूंकि प्रकरण में यह भी एक स्वीकृत स्थिति है कि विवादित आराजी के संबंध में उभयपक्षों के मध्य पूर्व में भी वादपत्र डिक्री हुये है जिनका हस्तगत वाद पर क्या असर है? यह भी देखा जाना उचित होने से प्रकरण सही तरीके से प्रतिप्रेषण हुआ है। चूंकि ग्राम मालुपुरा की आराजी बाबत् उभयपक्षों के मध्य महत्वपूर्ण विवाद है एवं उक्त आराजी पैतृक है अथवा नहीं? इस बिन्दु का निर्धारण भी समुचित तरीके से न होने से प्रकरण का निस्तारण विधिवत नहीं हुआ है। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह भी जाहिर है कि उन्होंने एकतरफा में वाद डिक्री किया है, जिससे प्रतिवादीगण प्रत्यर्थीगण अपने प्राकृतिक व नैसर्गिक न्याय से वंचित होकर उन्हें सुनवाई साक्ष्य तथा प्रतिरक्षा का समुचित अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए उक्त परिप्रेक्ष्य में भी प्रतिप्रेषण निर्णय न्यायसंगत होने से द्वितीय अपील के माध्यम से हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है।

9. प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय ने वाद में जवाबदावा आने के बावजूद भी तनकी कायम नहीं कर प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में एकतरफा में वाद डिक्री कियाी है। साथ ही पूर्व में हुए निर्णयों के प्रभाव

का असर भी नहीं देखा है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने इन्ही तथ्यों एवं विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुये अपीलाधीन निर्णय से प्रकरण कतिपय निर्देशों के साथ विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षीत नहीं होती है इसलिये हस्तगत अपील खारिज की जाना न्यायसंगत है।

10 परिणामतः उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन के फलस्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारीज की जाती है तथा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर कैम्प झुंझुनू द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12–07–2005 की पुष्टि की जाती है।

11. चूंकि मूल वाद सन् 1992 का है जो काफी पुराना होने से त्वरित न्याय की मंशा के अनुरूप विचारण न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वह मूल वादपत्र में तनकीयात कायम कर उभयपक्षों को साक्ष्य, सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर मूल वादपत्र को अधिकतम एक वर्ष में विधि अनुकूल तौर पर निर्णित करे। उभयपक्षों को भी निर्देशित किया जाता है कि वे अपने अभिभाषक के माध्यम से विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा के समक्ष दिनांक 16.10.2019. को उपस्थित होवें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील कुमार शर्मा)
सदस्य

(मुकेश शर्मा)
अध्यक्ष